रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 244] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 5, 1984/आषाढ़ 14, 1906
No. 244] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 5, 1984/ASADHA 14, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 1984

सा. का. नि. 493(अ).—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि जुलाई-अगस्त, 1984 के दौरान लांस एंजिल्स में होने वाले आगामी आलम्पिक खेलों में निशानेबाजी प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले भारतीय दल के सभी सदस्यों को आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) के कुछ उपबन्धों से छूट देना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जुलाई-अगस्त, 1984 के दौरान लांस एंजिल्स में होने वाले आलम्पिक खेलों में निशानेबाजी प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले भारतीय

बल के सभी सदस्यों को उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के उपबन्धों से 30 अगस्त, 1984 तक छूट देती है ।

[सं. 5-11026/54/83-जी.पी.ए.-5]
एस. आर. आर्य, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 1984

G.S.R. 493(E):—Whereas the Central Government is of opinion that it is necessary and expedient in the public interest to exempt all members of the Indian team participating in the Shooting Competitions at the forthcoming Olympic Games scheduled to be held at Los Angeles during July-August, 1984, from certain provisions of the Arms Act, 1959 (54 of 1959);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 41 of the said Act, the Central Government hereby exempts all the members of the Indian team taking part in the Shooting Competitions at the Olympic Games scheduled to be held at Los Angeles during July-August, 1984, from the provisions of sub-section (2) of section 3 of the said Act till the 30th day of August, 1984.

[No. V-11026|54|83-GPA-V]
S. R. ARYA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984